International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 03, No. 02(II), April - June, 2021, pp.119-122

भारत में पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार हेतु किये गये प्रयासों का अध्ययन

डॉ. राजकुमार बैरवा*

सार

बदलते वैश्विक परिवेश में विश्व के समक्ष उत्पन्न हो रही प्राकृतिक आपदाओं की त्रासदी के साथ–साथ कृत्रिम कारकों के द्वारा पर्यावरण को प्रभावित करने वाली चुनौतियों से भारत भी अछूता नहीं है। भारतीय संस्कृति में आदिकाल से जीव–जन्तुओं एवं वनस्पतियों का विशेष महत्त्व रहा है अतः भारत पर्यावरण संरक्षण के प्रति सदैव जागरूक रहा है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रमुख योगदानकर्त्ता भारत में न केवल अनेक बुद्धिजीवियों और प्रमुख हस्तियों ने पर्यावरण संरक्षण हेतु वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय कार्य किया है अपितु आम लोगों ने भी आगे आकर इस दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया है। पर्यावरणीय शिक्षा, मास–मीडिया, सेमीनार एवं कॉन्फ्रेंस, मनोरंजन (लोकगीतों, नुक्कड़ नाटकों, डॉक्यूमेन्टरीज आदि), विज्ञान केन्द्रों की स्थापना एवं प्रसिद्ध व्यक्तियों को शामिल कर जन–जागरूकता को फैलाया जा रहा है। आज सरकार तथा नीति–निर्माताओं की नजर में पर्यावरण संरक्षण प्रमुख प्राथमिकता है।

कुंजीशब्द : *पर्यावरण–संरक्षण, आईपीसीसी, यूएनएफसीसी, जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रीय कार्ययोजना, पर्यावरणीय स्थिरता, पर्यावरणीय कानून और नीति, जन–सहभागिता।*

———————————

प्रस्तावना

विनाशकारी दोहन नीति के कारण पारिस्थितिकीय असंतुलन भारतीय पर्यावरण में ब्रिटिश काल में ही दिखने लगा था। स्वतंत्रत भारत के लोगों में पश्चिमी प्रभाव, औद्योगीकरण तथा जनसंख्या विस्फोट के परिणामस्वरूप तृष्णा जाग गई जिसने देश में विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को जन्म दिया। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन ने भारत सरकार का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर खींचा। सरकार ने 1976 में संविधान में संशोधन कर दो महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद 48A तथा 51A(G) जोड़े। अनुच्छेद 48A राज्य सरकार को निर्देश देता है कि वह 'पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित करे तथा देश के वनों तथा वन्यजीव' की रक्षा करें। अनुच्छेद 51A(G) नागरिकों को कर्त्तव्य प्रदान करता है कि वे 'प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें तथा उसका संवर्धन करे और सभी जीवधारियों के प्रति दयालु रहें। पर्यावरण की गुणवत्ता की इस कमी में प्रभावी नियंत्रण व प्रदूषण के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने समय–समय पर अनेक कानून व नियम बनाए। इनमें से अधिकांश का मुख्य आधार प्रदूषण नियंत्रण व निवारण या रीवर वोडर्स एक्ट, 1956, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, भूमि प्रदूषण सम्बन्धी कानून, वाइल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972, फोरेस्ट (कन्जरर्वेशन) एक्ट, 1980, वाइल्ड लाईफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1995, जैव–विविधता अधिनियम, 2002.

आई.पी.सी.सी. (IPCC) की चौथी एवं पाँचवी रिपोर्ट के अनुसार उष्णकटिबन्धीय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन द्वारा अधिक प्रभावित होने का खतरा है। भारत के सम्मुख जलवायु परिवर्तन के वैश्विक खतरे से निपटने के साथ–साथ तेजी से विकसित हो रही अपनी अर्थव्यवस्था की विकास दर को बनाए रखने की भी

* सहायक आचार्य– राजनीति शास्त्र, स्व.पं.न.कि.श. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दौसा, राजस्थान।

चुनौती है। जलवायु परिवर्तन से भारत के प्राकृतिक संसाधनों के प्रसार तथा उनकी गुणवत्ता में बदलाव आ सकता है और इससे यहाँ के लोगों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। चूँकि भारत की अर्थव्यवस्था का इसके प्राकृतिक संसाधनों तथा जलवायु की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे– कृषि, जल एवं वानिकी से गहरा सम्बन्ध है, इसलिए भारत को जलवायु परिवर्तन से होने वाले संभावित परिवर्तनों के कारण एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है।

भारत UNFCCC के मूलभूत सिद्धान्त पर अमल करता है जिसके अनुसार जलवायु परिवर्तन हेतु जिम्मेदार देशों से अन्य देश जो कम जिम्मेदारी हैं कि अपेक्षा उत्सर्जन कटौती में ज्यादा योगदान देना होगा। इस प्रकार भारत इन जिम्मेदारियों से बँधा नहीं हैं, परन्तु स्वैच्छिक योगदान दे सकता है।

भारत का जलवायु परिवर्तन हेतु समझौता : वार्ताओं में सक्रिय योगदान

- UNFCCC के अंतर्गत ग्रीन हाऊस गैसों में कमी लाने के उद्देश्य से भारत ने 22 अप्रैल, 2016 को पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- भारत समझौते–वार्ता पर साझा कार्यक्रम विकास हेतु चीन एवं G-77 के साथ सक्रिय रूप से कार्यरत है।
- UNFCCC को वित्त, प्रौद्योगिकी, वानिकी एवं अन्य क्षेत्रों पर कई प्रस्तुतीकरण दे चुका है; जैसे–
  - प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण एवं विकास हेतु एक तंत्र की सलाह।
  - जलवायु परिवर्तन हेतु वित्तीय उपलब्धता हेतु सलाह।
  - REDD+ हेतु व्यापक दृष्टिकोण के लिये एक प्रस्तावना का प्रस्तुतीकरण।
  - ANNEX-1 देशों द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि में उत्सर्जन कटौती हेतु एक संयुक्त प्रस्तावना को प्रस्तुत करने हेतु चीन, ब्राजील, दक्षिण–अफ्रीका एवं 33 अन्य देशों के साथ काम किया।

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)

भारत को सबसे पहले जलवायु परिवर्तन के प्रति स्वयं को अनुकूलित करने तथा देश के विकास पथ की परिस्थितिकीय सतत्ता को आगे बढ़ाने के लिये एक राष्ट्रीय कार्यनीति की आवश्यकता है। पारिस्थितिकीय दृष्टि से सतत् विकास का मार्ग तैयार करने के लिए भारत के पास कई विकल्प हैं। चूँकि यह अभी विकास के प्रारम्भिक चरण में है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक जिम्मेदार और प्रबुद्ध सदस्य के रूप में भूमिका निभाने हेतु तथा समग्र रूप से पूरी मानवता पर पड़ने वाले प्रभाव का हल ढूँढने हेतु वैश्विक चुनौती में इसे योगदान देना है। लोगों की एक बड़ी आबादी है जीवन स्तर में सुधार करने तथा जलवायु परिवर्तनों के प्रभावों के प्रति उनकी असुरक्षा की भावना को कम करने के लिये उच्च प्रगति पर बनाए रखना आवश्यक है। सतत् विकास मार्ग के द्वारा आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को एक साथ हासिल करने का प्रयास किया गया है। इसी सिद्धान्त से प्रेरित होकर भारत के प्रधानमंत्री ने सन् 2008 में जलवायु परिवर्तन के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की। इसमें उन उपायों की पहचान की गई जो विकास सम्बन्धी उद्देश्यों को बढ़ावा देने के साथ–साथ जलवायु परिवर्तन की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये सह–लाभ भी उपलब्ध कराते है। इसमें जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में बहुमुखी, दीर्घकालीन और एकीकृत रणनीतियाँ तय की गई है ताकि उनके आधार पर मुख्य लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। इसमें ऐसे अनेक उपायों को भी रेखांकित किया गया है जिनसे भारत के विकास तथा अनुकूलन और उपशमन सम्बन्धी जलवायु परिवर्तन से जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अंतर्गत आठ राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित है–

- **राष्ट्रीय सौर मिशन**

अन्य नवीकरणीय और गैर जीवाश्म विकल्पों जैसे नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा के दायरे विस्तार की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए कुल ऊर्जा में सौर ऊर्जा के योगदान को महत्त्वपूर्ण रूप देने हेतु इसे लाया गया। इसके तहत जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन को जनवरी, 2010 से शुरु

किया गया। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक 20 गीगावाट सौर ऊर्जा का सृजन करना है, जिसे अब 100 गीगावाट कर दिया गया है। सौर मिशन का दूसरा पहलू अनुसंधान और विकास कार्यक्रम शुरू करना है जो अधिक सक्षम एवं सुविधाजनक सौर ऊर्जा तंत्र सृजन समर्थ बना सके। साथ ही उन नई पहलों को प्रोत्साहित करने के लिये, जौ सौर ऊर्जा के सतत् उपयोग हेतु भंडारण को सक्षम बनाते हो।

- **राष्ट्रीय सवंर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन** (NMEEE)

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 केन्द्र सरकार में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और राज्यों में नामोदिष्ट सांस्थानिक तंत्र के माध्यम से ऊर्जा बचत उपायों के कार्यान्वयन के लिये कानूनी आदेश मुहैया कराता है। 24 अगस्त, 2009 को प्रधानमंत्री परिषद ने इस मिशन को मंजूरी दी। ऊर्जा बचत के प्रमाणीकरण के माध्यम से अधिक ऊर्जा खपत वाले बड़े उद्योगों और सुविधाओं में ऊर्जा बचत सम्बन्धी सुधारों की लागत प्रभावित को बढ़ाने के लिये एक बाजार आधारित तंत्र की स्थापना करना जिसके माध्यम से व्यापार किया जा सकें।

- **राष्ट्रीय सतत् पर्यावास मिशन** (NMSH)

भवनों में ऊर्जा बचत सुधारों, ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन और सुनिश्चित रूप से सार्वजनिक परिवहन को अपनाने के माध्यम से पर्यावास को सतत् बनाने के लिए सतत् पर्यावास राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया; सामग्री एवं शहरी अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का प्रबंधन पारिस्थितिकीय रूप से सतत् आर्थिक विकास का एक प्रमुख घटक होगा। अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन के लिये प्रौद्योगिकी विकास एक विशिष्ट ध्यान का केन्द्र होगा। जैव रसायन रूपान्तरण अपशिष्ट जल उपयोग, सीवरेज उपयोग एवं पुनर्चक्रण विकल्पों पर ध्यान देने हेतु अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम को शामिल करना।

- **राष्ट्रीय जल मिशन** (NWM)

जल संरक्षण, जल की बर्बादी कम करने तथा राज्य के अंदर एवं बाहर और अधिक उचित जल वितरण सुनिश्चित करने के लिये एक राष्ट्रीय जल मिशन लागू किया जाएगा। इसे 6 अप्रैल, 2011 को मंजूरी दी गई। यह मिशन राष्ट्रीय जल नीति के उपबन्धों का पालन करेगा एंव जल उपयोग बचत को 20 प्रतिशत तक बढ़ाकर जल उपयोग को युक्तिसंगत बनाने हेतु एक फ्रेमवर्क विकसित करेगा।

- **हिमालयी पारितंत्र को टिकाऊ बनाने हेतु राष्ट्रीय मिशन** (NMSHE)

इसे 28 फरवरी, 2014 को मंजूरी दे दी गई। हिमालय के हिमनदों और पर्वतीय पारितंत्र को बनाए रखने और उनके सुरक्षा हेतु प्रबन्धन के उपाय विकतिस करने के लिये यह मिशन शुरू किया गया। पर्वतीय क्षेत्रों में, अपरदन और भूमि अवक्रमण को रोकने और संवेदनशील पारितंत्रों को स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिये दो–तिहाई क्षेत्रों की वनावरण के अंतर्गत रखना।

- **राष्ट्रीय हरित भारत मिशन** (NMGI)

कार्बन सिंक सहित पारितंत्र सेवाओं को बढ़ाने के लिये 'हरित भारत' नामक एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की बात की गई। 20 फरवरी, 2014 को राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन को मंजूरी दे दी गई। पारिस्थितिकीय संतुलन के परिरक्षण और जैवविविधता अनुरक्षण में वनों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। वन एक अत्यंत प्रभावी कार्बन सिंक भी बनाते है।

- **राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन** (NMSA)

इस मिशन द्वारा भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति और अधिक प्रभावी बनाने हेतु कार्य नीति बनाई गई इससे फसलों की नई किस्मों की विशेष रूप से ताप प्रतिरोधी फसलों की पहचान होगी और मौसम की उग्रता का सामना करने में सक्षम, लम्बे समय तक सूखा सहन करने, बाढ़ और अनिवार्य नमी उपलब्धता वाली फसलों की किस्में भी विकसित होगी।

- **राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीतिक–ज्ञानमिशन** (NMSKCC)

ओपन सोर्स प्लेटफार्मों सहित अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास तंत्रों के माध्यम से वैश्विक समुदाय को सूचीबद्ध करने के लिये तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और प्रतिक्रियाओं की पहचान करने के लिये रणनीतिक ज्ञान मिशन की परिकल्पना की गई है। मिशन में अनुसंधान परिणामों पर आधारित नवीन ज्ञान के प्रसार पर भी ध्यान दिया जाएगा।

भारतीय संविधान में पर्यावरण–संरक्षण सम्बन्धी विशेष प्रावधान किये गये है। भारत ने पर्यावरणीय कानूनों का व्यापक निर्माण किया है तथा हमारी नीतियाँ पर्यावरण संरक्षण में भारत की पहल दर्शाती है। भारत में जिस प्रकार से पर्यावरण कानूनों को लागू किया जा रहा है उसे देखते हुए लगता है कि इन कानूनों के महत्त्व को समझा ही नहीं गया है। इस दिशा में पर्यावरण नीति (2004) को गंभीरता से लागू करने की आवश्यकता है।

पर्यावरण को सुरक्षित करने के प्रयासों में आम जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित करने की जरूरत है। पर्यावरण संरक्षण में न्यायपालिका ने भी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके प्रयासों से स्वच्छ पर्यावरण मौलिक अधिकार का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गया है। जनहित याचिकाओं ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गैर–सरकारी संगठनों, नागरिक समाज तथा आम आदमी की भागीदारी को प्रोत्साहित किया है। जिसका नतीजा है कि आज सरकार तथा नीति निर्माताओं की सूची में पर्यावरण प्रथम मुद्दा है तथा वे पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीर हो गये हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2008
2. दृष्टि, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, (सप्तम संस्करण) दृष्टि पब्लिकेशसं, नई दिल्ली, 2021
3. टूवार्डस ए ग्रीन इकॉनोमीः पथवे टू सस्टेनबल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी इराडिक्श्न, ए सिंथेसिस फॉर पॉलिसी मेकर्स, यूएनईपी, 2011.
4. इण्डिया : स्ट्रेनथेनिंग इंस्टीट्यूसन्स फॉर सस्टेनबल ग्रोथ वाशिंगटन डी.सी. वर्ल्ड बैंक, 2007
5. एस. अब्दुलाली, आवाज फाउंडेशन (ऑनलाईन), 2012
6. स्ट्रेटर्जी पेपर ऑन रिसोर्स एफीसियंशी, नीति आयोग, 2017
7. रेफरेन्स रिपोर्ट फॉर "इन्टीग्रेटेड रिसोर्स एफीसियंशी पॉलिसी फॉर इण्डिया" टेरी, 2019
8. यूएनईपी, ग्लोबल एनवायरमेन्टल आऊटलुक, 2019
9. प्रकाश एच., एनवायरमेन्ट एण्ड सस्टेनएनल डवलपमेन्ट, साऊथरन इकॉनोमिस्ट, 2005
10. सेनगुप्ता, रामप्रसाद, "इकॉलोजी एण्ड इकोनोमिक्स : एन अप्रोच टू सस्टेनबल डवलपमेन्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, भारत, 2001
11. इण्डिया नेटवर्क फॉर क्लाइमेन्ट चेंज एसेसमेन्ट (आइएनसीसीए), 2010 क्लाइमेट चेन्ज एण्ड इण्डिया : एससमेन्ट ए सेक्टरल एण्ड रिजनल एनालसिंस फॉर 2030, गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया।

❖◆❖